न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2009 – आ0नि0

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर –प्रार्थी	बनाम 1. श्री अखिलेशचन्द पिता चांदमल महाजन निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री कुन्दन शर्मा अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.11.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को आवन्टन सलाहकार समिति ने दिनांक 04.08.1989 को ग्राम बदनपुरा की आराजी सं. 6596/2 संशोधित नं. 6625/6596 रकबा 5.00 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन की गयी थी। उक्त भूमि आवंटन को महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ने पत्रांक/भ्र.नि.ब्यूरो/अ.शा. 03/08/8241 – 43 दिनांक 17.10.2008 से जांच के दौरान नियम विरूद्ध भूमि का आवन्टन होना करार दिया जाकर नियम विरूद्ध भूमि आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही बाबत् जिला कलक्टर भीलवाडा को पत्र प्रेषित किया गया।

1. वर्ष 1989 से पूर्व श्री रतनलाल तांबी के पास कुल 109 बीघा 11 बिस्वा भूमि थी। इस भूमि को तीन पुत्रों एवं दो पुत्रियों तथा स्वयं के हिस्से में कुल 6 हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक के हिस्से में 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि आती हैं।
2. दिनांक 05.08.1989 को श्री रतनलाल ताम्बी ने स्वयं आवंटन कमेटी का सदस्य रहते हुए अन्य सदस्यों से मिलीभगत कर श्री कल्याणमल मीणा, प्रधान पंचायत समिति जहाजपुर के लिखित विरोध के उपरान्त भी अपने पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद को 06 बीघा 05 बिस्वा, राजेन्द्र प्रसाद को 06 बीघा 05 बिस्वा तथा अपने भतीजे अखिलेशचन्द्र को 05 बीघा, सुरेश चन्द्र को 05 बीघा कुल 22 बीघा 10 बिस्वा राजकीय भूमि आवंटित करवा दी जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	नाम	1989 से पूर्व भूमि	आंवटित भूमि	कुल भूमि
1	श्री रतनलाल ताम्बी	18 बीघा 05 बिस्वा	–	18 बीघा 05 बिस्वा
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	23 बीघा 10 बिस्वा	06 बीघा 05 बिस्वा	29 बीघा 15 बिस्वा
3	श्री गजेन्द्र प्रसाद	23 बीघा 10 बिस्वा	06 बीघा 05 बिस्वा	29 बीघा 15 बिस्वा
4	श्री अखिलेश चन्द्र	–	5 बीघा	5 बीघा
5	श्री सुरेशचन्द्र	–	5 बीघा	5 बीघा

3. भू राजस्व नियम 1970 के प्रावधाानुसार यह आवंटन 15 बीघा से कम भूमि वाले कृषक/व्यक्ति को ही किया जा सकता था व आवंटन पश्चात् आवंटी के पास कुल भूमि 15 बीघा से अधिक नही हो सकती थी।
4. इस प्रकार श्री रतनलाल ताम्बी ने अपने दोनों भतीजों श्री अखिलेशचन्द्र व श्री सुरेशचन्द्र के कृषक न होते हुए भी तथा स्वयं समिति के बैठक में उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार भूमि आवंटित करायी जो नियमानुसार अवैध हैं।
5. स्पष्टतः आवंटन से पूर्व श्री रतनलाल ताम्बी के दोनों पुत्र 15 बीघा से अधिक भूमि के स्वामी होने के कारण उक्त भूमि आंवटन हेतु अपात्र थे, फिर भी इन्हें श्री रतनलाल ताम्बी के प्रभाव का इस्तेमाल कर अनियमित आवंटन किया गया।
6. आवंटन समिति का स्वयं सदस्य होते हुए भी श्री रतनलाल ताम्बी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आवंटन समिति की बैठक में उपस्थित रहकर अपने दो पुत्रों एवं अपने दो भतीजों के नाम कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 11 एवं नियम 12 का स्पष्टतः उल्लंघन कर अनियमित रूप से भूमि का आवंटन करवाया।
7. नियम विरूद्व आवंटन कर अनुचित लाभ प्राप्ति के प्रथम दृष्टया प्रमाण उपलब्ध होने के कारण ब्यूरो द्वारा श्री ताम्बी व अन्य के विरूद्व चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रस्तावित हैं।

उक्त आवंटन के पश्चात् भूमि आवंटी श्री अखिलेशचन्द पिता चांदमल महाजन निवासी पण्डेर को सुपूर्द कर दी गयी थी तब से ही राजस्व अभिलेख में भूमि आवंटी के नाम अभिलिखित हैं। मूल आवंटन पत्रावली अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा द्वारा तलब किये जाने से उपलब्ध नहीं हैं। निवेदन हैं कि नियम विरूद्व आवंटन निरस्त कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2009 को इस न्यायालय में पंजीबद्व किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को आवन्टन सलाहकार

समिति ने दिनांक 04.08.1989 को ग्राम बदनपुरा की आराजी सं. 6596/2 संशोधित नं. 6625/6596 रकबा 5.00 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन की गयी थी। उक्त भूमि आवंटन को महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ने पत्रांक/भ्र.नि.ब्यूरो/अ.शा. 03/08/8241 – 43 दिनांक 17.10.2008 से जांच के दौरान नियम विरूद्व भूमि का आवन्टन होना करार दिया जाकर नियम विरूद्व भूमि आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही बाबत् आदेश प्रदान किये है। निवेदन हैं कि नियम विरूद्व आवंटन निरस्त कराया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में बताया गया कि विपक्षी को आराजी सं. 6625/6596 रकबा 5.00 बीघा ग्राम बदनपुरा अलोटमेण्ट कमेटी द्वारा सही आवंटन किया गया क्योंकि विपक्षी भूमि निजाई के अलोटमेण्ट की पात्रता रखता हैं और किसी प्रकार की अनियमितता या अवैधानिकता नहीं की हैं। विपक्षी को भूमि निजाई का अलोटमेण्ट वक्त तत्समय अलोटमेण्ट कमेटी में विधायक श्री रतनलाल ताम्बी के भाग लेने में कोई कानूनी रोक नही थी। इसके अलावा रतनलाल ताम्बी से विपक्षी का कोई रिश्ता नहीं था। विपक्षी को अलोटमेण्ट सन् 1989 मे हुआ और किसी विधायक के रिश्तेदारों को अलोटमेण्ट करने की प्रोसेसिंग मे न बैठने व भाग न लेने के लिये लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 101 के तहत बने अलोटमेण्ट संबंधी नियम 1970 में बने नियमों में यह संशोधन दिनांक 06.11.1996 से जुड़ा हैं। इस आधार पर भूमि निजाई का अलोटमेण्ट नियम विरूद्व होना बताया जो गलत होकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। विपक्षी को विवादित अलोटमेण्ट भूमि में खातेदारी हक प्राप्त हो गये हैं। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार हैं और विपक्षी का पूरा परिवार कृषि पर आधारित हैं। विपक्षी को भूमि अलोट हुये 20 वर्ष हो गये हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। ग्राम बदनपुरा तहसील जहाजपुर के आराजी नं. 6596/2 संशोधित नं. 6625/6596 रकबा 5.00 बीघा भूमि किस्म बारानी द्वितीय कृषि प्रयोजन हेतु दिनांक 04.08.1989 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी अखिलेश चन्द्र पिता चांदमल महाजन निवासी पण्डेर के नाम आवंटन की गयी।

उक्त आवंटन श्री रतनलाल ताम्बी जो आंवटन कमेटी के सदस्य रहते हुए अन्य सदस्यों से मिलीभगत कर राजकीय भूमि अपने भतीजे श्री अखिलेश चन्द्र महाजन के कृषक न होते हुए भी भूमि आवंटन कराया गया, जिसे महानिरीक्षक पुलिस प्रथम जयपुर के क्रमांक/भ्र.नि.ब्यूरो/अ.शा./03/08/8241–43 दिनांक 17.10.2008 के संदर्भ में आवंटन निरस्त कराने हेतु तहसीलदार जहाजपुर ने प्रार्थना पत्र भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया।

प्रकरण में ग्राम पण्डेर के आराजी नं. 6596/2 संशोधित नं. 6625/6596 रकबा 5.00 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि श्री अखिलेशचन्द्र महाजन के नाम दिनांक 04.08.1989 को हुये आवंटन के पश्चात् आवंटनशुदा भूमि खातेदारी से

दर्ज हो चुकी हैं।

आवंटित भूमि के खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् भी यदि आवंटित भूमि का मिस रिप्रजेन्टेशन व फ्रॉड होना पाया जाता हैं तो इसके आधार पर राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)तहत आवंटन निरस्तीकरण कार्यवाही की जा सकती हैं।

इस प्रकरण में विपक्षी के नाम पर आवंटनशुदा भूमि खातेदारी दर्ज हैं। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के जांच प्रतिवेदन में बिन्दु संख्या 01 से लगायत 07 अनुसार विपक्षी के नाम किये गये भूमि के आवंटन को ''मिस रिप्रजेन्टेशन व फ्रॉड'' होने का निष्कर्ष अंकित किया हैं। विपक्षी की ओर से महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के पत्रांक/भ्र.नि.ब्यूरो/अ.शा. 03/08/ 8241–43 दिनांक 17.10.2008 में अंकित अन्वेषण के बिन्दु संख्या 01 से लगायत 07 के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) भू–आवंटन निरस्तीकरण में विपक्षी के नाम पर आवंटनशुदा भूमि के संबंध में महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के पत्रांक/भ्र.नि. ब्यूरो/अ.शा. 03/08/ 8241–43 दिनांक 17.10.2008 में जांच प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 01 से लगायत 07 के अनुसार भूमि का आवंटन मिस रिप्रजेन्टेशन व फ्रॉड होने का निष्कर्ष अंकित होने के परिपेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) भू–आवंटन निरस्तीकरण को स्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी को आवन्टन सलाहकार समिति ने दिनांक 04.08.1989 को ग्राम पण्डेर की आराजी सं. 6596/2 संशोधित नं. 6625/6596 रकबा 5.00 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कृषि प्रयोजन हेतु किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जहाजपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लिया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे।

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर एवं तहसीलदार जहाजपुर को उपरोक्त आदेशानुसार समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.11.18 13:26:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: